

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

संतोष देवी बनाम भूमिधारी नीमकाथाना

किस्म मुकदमा

प्रार्थना पत्र 136 भू.रा.अधि.

मु०न० 430 सन 2024 जीसीएमएस नं.

2-24/550

| तारीख हुक्म | हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 05-08-2024 | <p>रिपोर्ट सरिरस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर से श्री गिरधारी लाल बागड़ी एडवोकेट उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 136 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 28.08.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>(राजवीर सिंह यादव)</i> उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)</p> <p>28/8/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/9/24 को पेश हो।</p> <p>20/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील जर्जी उषी उषार्की आवपूस (नामक वकील उषी) द्वारा उषार्की के विरुद्ध एड एडिफ कम्प्लेक्सी उषा में लगी गयी ए प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट देगावे हेतु तहसीलदार, नीमकाथाना को तस्वीर जयी हो पत्रावली दिनांक 21/10/24 को पेश हो।</p> <p>21/10/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है, पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 10/11/24 को पेश हो।</p> <p>10/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपास्थित P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्थ है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/11/24 को पेश हो।</p> <p>22/11/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक सघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/12/25 को पेश हो।</p> | |



12/03/2025

पत्रावली पेश हुई। अधिमापक सच में
अपने अदालती कार्य का रखना कर
रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 21/9/25 को पेश हो।

21/5/25

पत्रावली पेश हुई। वकूलाप साहब
P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 21/5/25
को पेश हो।

21/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकूलाप उपस्थित। पत्रावली
पूर्व आदेशानुसार दिनांक 29.7.25 को पेश हो।

29/7/2025

वकील उपस्थित। तहसीलदार नेमिलाना के प्रकरण के
तद्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो अफिलेस पर ली जाती
है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट जारी करवा - चौहेर
अनुसंधान की जांच करने पर अर्थात् की उत्तरी
अनुसार नक्शों में तहसील सही पायी गयी है। जिस
कारण उर्वरता पर खारिज योग्य है। अतः तहसीलदार
नेमिलाना की रिपोर्ट के आधार पर अर्थात्
का प्र० पत्र O/S 136 LA Act खारिज किया जाते
है। पत्रावली फ़ैसल सुमाए होकर नम्बर से कम
हो तथा बाद तकमिल दाखिल फ़ैसल हो। निधि
पुले न्यायलय में सुनाया गया।